

कार्यपालक सारांश

कार्यपालक सारांश

पृष्ठभूमि

यह प्रतिवेदन वर्ष 2011–12 के दौरान बिहार सरकार के वित्त पर वित्तीय निष्पादन का आकलन करने तथा राज्य सरकार और राज्य विधान मंडल को उचित प्रकार से किसी आँकड़ों पर लेखापरीक्षा विश्लेषण के रूप में सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से प्रस्तुत है। इस विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में बिहार राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन (संशोधन) अधिनियम, 2010, तेरहवें वित्त आयोग प्रतिवेदन एवं बजट अनुमान 2011–12 में दिये गए लक्ष्यों के सापेक्ष उपलब्धियों की तुलना का प्रयास किया गया है।

यह प्रतिवेदन

मार्च 2012 को समाप्त हुए वर्ष के लिए बिहार सरकार के लेखा परीक्षित लेखाओं पर आधारित इस प्रतिवेदन में सरकार के वार्षिक लेखे की विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रस्तुत की गई है। यह प्रतिवेदन तीन अध्यायों में संरचित है।

अध्याय-1 वित्त लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और 31 मार्च 2012 तक के बिहार सरकार के राजकोषीय स्थिति का मूल्यांकन करता है। यह पूर्व वर्ष की तुलना में मुख्य राजकोषीय संचय में महत्वपूर्ण परिवर्तनों का विश्लेषण करता है। यह व्याज भुगतान, वेतन एवं मजदूरी, पेंशन, सब्सिडी तथा ऋण की अदायगी तथा उधार प्रतिमान की प्रवृत्तियों की जानकारी देने एवं बजट से इतर मार्ग से राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को सीधे स्थानांतरित केन्द्रीय निधियों का संक्षिप्त लेखा भी उपलब्ध कराता है।

अध्याय-2 विनियोग लेखे की लेखापरीक्षा पर आधारित है और विनियोगों का अनुदानवार विवरण देता है तथा सेवा प्रदायी विभागों द्वारा आवंटित संसाधनों के प्रबंध के ढंग का वर्णन करता है। इसमें अनुदान सं0-3 “भवन निर्माण विभाग” तथा अनुदान सं0-16 “पंचायती राज विभाग” नामक दो अनुदानों की विस्तृत समीक्षा दी गयी है। इसमें यह पता लगाने की चेष्टा की गयी है कि विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए व्यय वास्तव में विनियोजन अधिनियम के अंतर्गत दिये गए प्राधिकरण में हुए थे अथवा नहीं।

अध्याय-3 विभिन्न प्रतिवेदन संबंधी आवश्यकताओं एवं वित्तीय नियमों के साथ बिहार सरकार के अनुपालन की एक सूची है। लेखापरीक्षा निष्कर्ष के समर्थन में विभिन्न सरकारी विभागों/संगठनों से एकत्रित किये गए आँकड़े भी इस अध्याय में होते हैं।

लेखा परीक्षा निष्कर्ष एवं अनुशंसाएँ

अध्याय 1

राजस्व प्राप्तियाँ : इस वर्ष के दौरान राजस्व प्राप्तियों में 15.24 प्रतिशत (₹ 6787.85 करोड़) की वृद्धि हुई। यह वृद्धि मुख्यतः राज्य के अपने कर राजस्व में 27.78 प्रतिशत (₹ 2742.25 करोड़) तथा संघीय करों के राज्य का अंशदान एवं शुल्क में 16.50 प्रतिशत (₹ 3956.85 करोड़) की वृद्धि के कारण हुई।

कर राजस्व : राज्य के अपने कर राजस्व में बजट प्राककलन (₹ 12582.90 करोड़) तथा तेरहवें वित्त आयोग अनुशंसा (₹ 9302.67 करोड़) से क्रमशः 0.23 प्रतिशत (₹ 29.20 करोड़) तथा 35.58 प्रतिशत (₹ 3309.43 करोड़) बढ़ातरी हुयी है।

करेतर राजस्व : तथापि, वर्ष के दौरान करेतर राजस्व में 9.71 प्रतिशत की कमी आई जिसका मुख्य कारण ₹ 384.93 करोड़ के ऋण अधित्याग की वसूली तथा झारखण्ड सरकार द्वारा पूर्व-पुनर्गठन अवधि के पेंशन देयता (₹ 7808.45 करोड़) का भुगतान नहीं करना था।

राजस्व व्यय : वर्ष के दौरान राजस्व व्यय में 21.68 प्रतिशत (₹ 8283.57 करोड़) की वृद्धि हुई। तथापि, वर्ष के दौरान राजस्व व्यय बजट प्राक्कलन (₹ 49933.56 करोड़) से 6.88 प्रतिशत (₹ 3434.07 करोड़) कम था।

गैर योजना एवं योजना व्यय : पूर्व वर्ष की तुलना में गैर योजना व्यय (राजस्व एवं पूँजीगत) में 24.45 प्रतिशत (₹ 6690.15 करोड़) तथा योजना व्यय में 6.23 प्रतिशत (₹ 1249.49 करोड़) की वृद्धि हुई।

राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को भारत सरकार द्वारा सीधे हस्तांतरित निधि : भारत सरकार ने वर्ष 2011–12 में राज्य क्रियान्वयन एजेन्सियों को ₹ 8958 करोड़ सीधे हस्तांतरित किया। चूँकि ये निधियाँ राज्य बजट/राज्य कोषागार प्रणाली होकर नहीं गुजरती इसलिए वार्षिक वित्तीय लेखा इन निधियों के प्रवाह को नहीं रखती तथा उस विस्तार तक राज्य की प्राप्तियाँ तथा व्यय साथ ही उनसे लिए गए अन्य राजकोषीय परिवर्ती कारक/मानक इन निधियों को लेखा में दर्ज नहीं करते।

स्थानीय निकायों को राज्य सरकार द्वारा वित्तीय सहायता : वित्तीय सहायता वर्ष 2011–12 के दौरान वर्ष 2010–11 के ₹ 4622 करोड़ से बढ़कर ₹ 14444 करोड़ हो गयी। पूर्व वर्ष की तुलना में ₹ 9822 करोड़ (213 प्रतिशत) की वृद्धि मुख्यतः शैक्षणिक संस्थाओं (₹ 3641 करोड़), जिला परिषद तथा पंचायती राज संस्थाओं (₹ 1019 करोड़), विकास एजेन्सियों (₹ 2636 करोड़) एवं अन्य एजेन्सियों (₹ 2638 करोड़) में सहायता की वृद्धि के कारण हुई।

विकासात्मक व्यय : विकास व्यय में समाविष्ट राजस्व व्यय, पूँजीगत व्यय तथा सामाजिक-आर्थिक सेवाओं पर ऋण एवं अग्रिम वर्ष 2007–08 के ₹ 20452 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 38900 करोड़ हो गया।

अपूर्ण परियोजनाएँ : एक साथ 380 योजनाएँ/परियोजनाएँ (अनुमानित लागत ₹ 3395.35 करोड़) मार्च 2012 तक पूर्ण होनी थी, परन्तु वे अपूर्ण रहे जिससे ₹ 1579.46 करोड़ अवरुद्ध हो गया।

सरकारी निवेश : गत पाँच वर्षों में सरकारी निवेशों में औसत प्रतिलाभ 0.26 प्रतिशत था जबकि सरकार ने वर्ष 2007–12 के दौरान अपने उधार पर 6.96 प्रतिशत की दर से औसत ब्याज भुगतान किया। वर्ष 2011–12 के दौरान ₹ 920.82 करोड़ के निवेश के विरुद्ध ₹ 1.40 करोड़ का मामूली प्रतिलाभ हुआ।

आठ सरकारी कंपनियों/निगमों में इकिवटी (₹ 153.82 करोड़) तथा ऋण (₹ 813.92 करोड़) में ₹ 967.74 करोड़ के निवेश के विरुद्ध ₹ 1366.56 करोड़ की हानि हुई। तदनुरूप, 15 सरकारी कंपनियों/निगमों में ₹ 243.79 करोड़ के निवेश में ₹ 215.19 करोड़ की क्षति हुई।

तेरहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार सभी राज्यों को मार्च 2011 तक सभी अकार्यशील लोक क्षेत्र उपक्रमों को बंद करने हेतु एक रूपरेखा तैयार करनी थी। तथापि, संबंधित विभागों द्वारा इस संबंध में कोई विस्तृत योजना संसूचित नहीं की गयी।

राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम : वर्ष के दौरान दिये गए अग्रिम ₹ 1906.08 करोड़ में ₹ 935.54 करोड़ विद्युत परियोजनाओं हेतु थे। साथ ही, ₹ 18525.76 करोड़ के कुल बकाया ऋण में ₹ 14730.25 करोड़ विद्युत क्षेत्र के थे।

नकदी शेष : वर्ष के दौरान नकदी शेष में ₹ 2735.44 करोड़ से ₹ 1509.45 करोड़ की कमी हुई। सहकारिता विभाग मुख्यालय, पाँच जिला योजना कार्यालय, प्राचार्य, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय, मुजफ्फरपुर तथा 12 निगम, परिषद, उपक्रम एवं समितियों के अभिलेखों के नमूना जाँच से प्रकट हुआ कि ₹ 2413.57 करोड़ तक की निधि इन संस्थाओं/संगठनों के

66 वाणिज्यिक बैंक खातों, मियादी जमा आदि में पड़ी थी जैसा कि वित्त लेखा के विवरण संख्या 1 के फुटनोट संख्या 5 में दर्शाया गया है।

राजकोषीय देयता : राज्य की राजकोषीय देयता वर्ष 2007–08 में ₹ 50989.18 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2011–12 में ₹ 67811.84 करोड़ हो गयी।

अध्याय 2

निधि की अग्रिम निकासी : राजस्व तथा पूँजीगत व्यय शीर्षों पर निकासी किये गए ₹ 919.87 करोड़ तथा ₹ 547.72 करोड़ की निधि लोकक्षेत्र उपक्रमों/विभागों के बैंक खातों/व्यक्तिगत निक्षेप खातों में पड़ी रही।

वित्तीय जवाबदेही तथा बजटीय प्रबंधन: विभिन्न सामाजिक एवं विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में धीमी प्रगति से राज्य को ₹ 15595.72 करोड़ की समग्र बचत हुई। निधियों के अनावश्यक अथवा आधिक्य पुनर्विनियोजन के उदाहरण थे। वित्तीय वर्ष के अंत में सघन व्यय राज्य का पुराना अवगुण था। अनेक मामलों में अनुमानित बचतें या तो अभ्यर्पित नहीं थे अथवा देर से अभ्यर्पित थे, जिससे अन्य विकास प्रयोजनों में इन निधियों का उपयोग नहीं हो सका।

₹ 49618.13 करोड़ के व्यय का समाशोधन नहीं हुआ। पुनः ₹ 51320.17 करोड़ की कुल प्राप्ति में ₹ 13074 करोड़ (25.48 प्रतिशत) का समाशोधन नहीं हुआ। विभाग को व्यय की प्रवृत्ति तथा निधि की वास्तविक आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए यथार्थवादी बजट प्राक्कलन प्रस्तुत करना चाहिए। अनुदानों पर आधिक्य व्यय से बचने के लिए नियंत्री अधिकारियों को आवंटनों के विरुद्ध किए गए व्यय पर पैनी नजर रखनी चाहिए। सरकार ने वर्ष 2011–12 में आकस्मिक निधि से ₹ 1242.99 करोड़ की 191 निकासी संस्वीकृत किया। इनमें ₹ 1225.53 करोड़ (98.60 प्रतिशत) के 91 निकासी नित्य व्यय हेतु थे जैसे मोटर वाहन क्रय, कार्यालय व्यय, वेतन एवं भत्ते आदि।

इसके अतिरिक्त, अनुदान सं0–3 “भवन निर्माण विभाग” की समीक्षा से प्रकट हुआ कि विभाग निधि को खर्च अथवा उपयोग करने में असमर्थ रहा जो इस तथ्य से प्रमाणित होता है कि अन्य सेवा विभागों द्वारा प्रदत्त प्रावधानों (₹ 434.25 करोड़) के 63 प्रतिशत की वृहत् बचत हुई। इसमें सात सेवा विभागों के मामले में ₹ 118.30 करोड़ का शत प्रतिशत अनुपयोगित रहना शामिल है। उसी प्रकार से अनुदान सं0–16 “पंचायती राज विभाग” के मामले में ₹ 250 करोड़ की शत प्रतिशत बचत के मामले थे।

अध्याय 3

वित्तीय रिपोर्टिंग : विभिन्न प्रतिवेदन आवश्यताओं एवं वित्तीय नियमों के अनुपालन को सुनिश्चित करने हेतु सार आकस्मिक विपत्र/विस्तृत आकस्मिक विपत्र तथा सहायता अनुदान विपत्र की निकासी तथा प्रस्तुतिकरण के वर्तमान प्रणाली की समीक्षा की गयी।

उच्च महत्ता (प्रत्येक मामले में ₹ एक लाख से अधिक मूल्य वाले) वाले सार आकस्मिक विपत्र वर्ष 2009–12 के दौरान निकासी किये गए कुल सार आकस्मिक विपत्र का 99.76 प्रतिशत था।

31 अगस्त 2012 को ₹ 18797.90 करोड़ के 66847 विस्तृत आकस्मिक विपत्र महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रस्तुत करने हेतु लंबित थे।

वर्ष 2009–10 एवं 2010–11 के दौरान निकासी किये गए ₹ 15333.60 करोड़ के सहायता अनुदान के विरुद्ध 31 मार्च 2012 को ₹ 7837.69 करोड़ का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना बाकी था।